237

संख्या : /XLI-1/2015-55/2014

प्रेषक,

आर. के. सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर (गढवाल)।

तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक : 12 मार्च, 2015

विषयः एन.टी.पी.सी. सहायतित राजकीय पॉलीटैक्निक, जोशीमठ (चमोली) के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII-I/2014 दिनांक 18.3.2014 एवं आपके पत्र संख्या 594/नि.प्रा.शि./प्लान-छः-120/2014-15 दिनांक 09.7.2014 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ. प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., इकाई-4, देहरादून द्वारा गठित आगणन ₹ 1573.96लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 1541.41लाख (₹ 1471.11लाख सिविल कार्य + ₹ 70.30लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार अधिप्राप्ति) की वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. चूँकि इस पॉलीटैक्निक का निर्माण एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रायोजित/सहायतित है। अतएव उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में तत्काल एन.टी.पी.सी. से धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव/कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।
2. एन.टी.पी.सी. द्वारा कालाढूंगी (नैनीताल) में बनाए गये पॉलीटैक्निक को मॉडल के रूप में लेते हुए विषयगत कार्य का निर्माण कराया जाएगा।
3. उक्त कार्य को इसी संस्तुत धनराशि अथवा एन.टी.पी.सी. से प्राप्त होने वाली धनराशि की सीमा तक ही समयबद्धता व गुणवत्तापूर्वक सम्पादित किया जाएगा एवं इस हेतु राज्य सरकार से कोई वित्तीय स्वीकृति अनुमन्य न होगी।
4. आगणन का अग्रेतर पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. धनराशि का व्यय एल-1 निविदा (न्यूनतम निविदा) के आधार पर कराया जाएगा तथा तदनुसार बचत की धनराशि को डोनर ऐजेन्सी को वापस किया जाएगा।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
7. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

क्रमशः...

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप उपयुक्त सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी।
12. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
13. धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
14. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
15. शासनादेश संख्या 475 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय एन.टी.पी.सी. से वित्त पोषण से एवं उक्त सीमा तक ही वहन किया जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 380(पी.)/XXVII(3)/2015 दिनांक 10.3.2015 2015 के अन्तर्गत प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर. के. सुधांशु)
सचिव।

संख्या : 195 (1)/XLI(1)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. इकाई प्रभारी, उ. प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., इकाई–4, देहरादून।
5. एन.टी.पी.सी., जोशीमठ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस. एस. टोलिया)
उप सचिव।